

"मौला आजाद एजुकेशनल सोसायटी 627 आवेदनक"

"मौला आजाद दि 8-7-2011"

न्यायालय उपजिलाधिकारी-सदर(मुजफ्फरनगर)

वाद संख्या 2 / 2010-11

धारा-143 ज0वि0 अधिनियम

मौला भमावडी

परगना

पुरछपार

भारत एजुकेशनल इन्स्टिट्यूट 2 किमी0 वरला-वसेडा रोड जिला मु0नगर (अल्पसंख्यक संस्था) (द्वारा संचालित मौलाना आजाद एजुकेशनल सोसायटी) रजि0 132, अन्सारी रोड, मु0नगर द्वारा सेकेंट्री/मैनेजर डा0 रविश आलम खान पुत्र श्री अमीर आलम खान निवासी 132, अन्सारी रोड मु0नगर।

वनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

आदेश

प्रश्नगत वाद की कार्यवाही भारत एजुकेशनल इन्स्टिट्यूट 2 किमी0 वरला-वसेडा रोड जिला मु0नगर (अल्पसंख्यक संस्था) (द्वारा संचालित मौलाना आजाद एजुकेशनल सोसायटी) रजि0 132, अन्सारी रोड, मु0नगर द्वारा सेकेंट्री/मैनेजर डा0 रविश आलम खान पुत्र श्री अमीर आलम खान, निवासी 132, अन्सारी रोड मु0नगर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-8-2011 के आधार पर प्रारम्भ हुई, जिसमें भूमि स्थित ग्राम भमावडी, परगना पुरछपार की उद्धरण खतौनी 1414 ता 1419 फ0 के खाता संख्या 538, खसरा संख्या 565, रकबा 0-1590 है0, लगान 3-60 पैसे एवं खाता संख्या 495, खसरा संख्या 567, रकबा 0-9910 है0, लगान 15-00 रुपये एवं खाता संख्या 30, खसरा संख्या 566, रकबा 0-2660 है0, लगान 6-55 पैसे का 1620/2660 भाग अर्थात् 0-1620 है0 को ज0वि0 अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाने की अभ्यर्थना की गयी है।

प्रस्तुत वाद-पत्र पर तहसीलदार-सदर एवं मु0नगर विकास प्राधिकरण, मु0नगर से आख्या प्राप्त की गयी।

तहसीलदार-सदर से प्राप्त आख्या दिनांक 1-9-2011 में उल्लेख किया गया है कि भूमि स्थित ग्राम भमावडी, परगना पुरछपार की उद्धरण खतौनी 1414 ता 1419 फ0 के खाता संख्या 538, खसरा संख्या 565, रकबा 0-1590 है0, लगान 3-60 पैसे एवं खाता संख्या 495, खसरा संख्या 567, रकबा 0-9910 है0, लगान 15-00 रुपये एवं खाता संख्या 30, खसरा संख्या 566, रकबा 0-2660 है0, लगान 6-55 पैसे का 1620/2660 भाग अर्थात् 0-1620 है0 भूमि विगत पांच वर्षों में कृषि के रूप में प्रयोग होती रही है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि अकृषिक है व स्थल पर चारदीवारी बनी हुई है। भूमि विवादित के उत्तर में खसरा संख्या 555, 558 व 509 है, जो कृषिक है। दक्षिण में सड़क पुरखा है। पूरब में खसरा संख्या 568 है, जो कृषिक है। पश्चिम में खसरा संख्या 566 का शेष भाग व खसरा संख्या 564 है, जो कृषिक है। विवादित भूमि जोत चकबंदी आकार-पत्र 41 व 45 के अनुसार ज0वि0 अधिनियम की धारा-132 से आच्छादित नहीं है। भूमि विवादित मौके पर अकृषिक होने व चारदीवारी बनी होने के कारण धारा-143 ज0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाये।

प्रभारी सचिव, मु0नगर विकास प्राधिकरण से प्राप्त आख्या दिनांक 19-8-2011 में उल्लेख किया गया है कि वरला-वसेडा रोड पर स्थित ग्राम भमावडी



Handwritten signature and date: 19-8-2011

अध्यक्ष
मौलाना आजाद एजुकेशनल सोसायटी
असारी रोड, मुजफ्फरनगर

प्राधिकरण महायोजना 2021 की सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है तथा प्राधिकरण की विकास क्षेत्र सीमा से बाहर स्थित है। उक्त स्थल पर प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकार नहीं किये जाते हैं।

भूमि स्थित ग्राम भमावडी के खाता संख्या 30, खसरा संख्या 536, रकबा 0-2660 है। लगान 6-55 पैसे में सहखातेदार मौ० हुसैन पुत्र मौ० यासीन एवं मौ० अन्सार पुत्र दीनमौहम्मद निवासी गण ग्राम बरला के द्वारा धारा-143 ज० वि० अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु कोई आपत्ति न होने के सम्बन्ध में दिनांक 6-9-2011 को शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये।

मेरे द्वारा वाद पत्रावली एवं तहसीलदार-सदर/मु० नगर विकास प्राधिकरण से प्राप्त आख्या दिनांकित कमशः 1-9-2011 एवं 19-8-2011 का अवलोकन किया गया, जिसके अवलोकन से मैं इस मत का हूँ कि भूमि विवादित स्थित ग्राम भमावडी, परगना पुरछपार, की उद्धरण खतौनी 1414 ता 1419 फ० के खाता संख्या 538, खसरा संख्या 565, रकबा 0-1590 है। लगान 3-60 पैसे एवं खाता संख्या 495, खसरा संख्या 567, रकबा 0-9910 है। लगान 15-00 रुपये एवं खाता संख्या 30, खसरा संख्या 566, रकबा 0-2660 है। लगान 6-55 पैसे का 1620/2660 भाग अर्थात् 0-1620 है। भूमि विगत पांच वर्षों में कृषि के रूप में प्रयोग होती रही है। वर्तमान में प्रसंगत भूमि अकृषिक है व स्थल पर चारदीवारी बनी हुई है। भूमि विवादित के उत्तर में खसरा संख्या 555, 558 व 509 है, जो कृषिक है। दक्षिण में सड़क पुरछा है। पूरब में खसरा संख्या 568 है जो कृषिक है। पश्चिम में खसरा संख्या 566 का शेष भाग व खसरा संख्या 564 है, जो कृषिक है। विवादित भूमि जोत चकवदी आकार-पत्र 41 व 45 के अनुसार ज० वि० अधिनियम की धारा-132 से आच्छादित नहीं है, जो तहसीलदार-सदर की आख्या दिनांक 1-9-2011 में उल्लिखित है। इसके अतिरिक्त बरला-बरोडा रोड पर स्थित ग्राम भमावडी प्राधिकरण महायोजना-2021 की सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है तथा प्राधिकरण की विकास क्षेत्र सीमा से बाहर स्थित है, जो मु० नगर विकास प्राधिकरण, मु० नगर की आख्या दिनांक 19-8-2011 में उल्लिखित है। भूमि स्थित ग्राम भमावडी के खाता संख्या 30, खसरा संख्या 566, रकबा 0-2660 है। लगान 6-55 पैसे में सहखातेदार मौ० हुसैन पुत्र मौ० यासीन एवं मौ० अन्सार पुत्र दीनमौहम्मद निवासी गण ग्राम बरला के द्वारा भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई आपत्ति न होने के सम्बन्ध में दिनांक 6-9-2011 को शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये। चूंकि, भूमि विवादित स्थल पर अकृषिक होने व चारदीवारी बनी होने के कारण तथा किसी पक्ष को कोई आपत्ति न होने के कारण तहसीलदार-सदर/मु० नगर विकास प्राधिकरण से प्राप्त आख्या दिनांक 1-9-2011 एवं 19-8-2011 से सहमत होते हुए भूमि स्थित ग्राम भमावडी, परगना पुरछपार की उद्धरण खतौनी 1414 ता 1419 फ० के खाता संख्या 538, खसरा संख्या 565, रकबा 0-1590 है। लगान 3-60 पैसे एवं खाता संख्या 495, खसरा संख्या 567, रकबा 0-9910 है। लगान 15-00 रुपये एवं खाता संख्या 30, खसरा संख्या 566, रकबा 0-2660 है। लगान 6-55 पैसे का 1620/2660 भाग अर्थात् 0-1620 है। भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

अध्यक्ष

मौलाना आज़ाद एजुकेशनल सोसायटी
असारी रोड, मुजफ्फरनगर

अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक उद्घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर भूमि स्थित ग्राम भमावडी, परगना पुरंछपार की उद्धरण खतौनी 1414 ता 1419फ0 के खाता संख्या 538, खसरा संख्या 565, रकबा 0-1590 है 0, लगान 3-60 पैसे एवं खाता संख्या 495, खसरा संख्या 567, रकबा 0-9910 है 0, लगान 15-00 रुपये एवं खाता संख्या 30, खसरा संख्या 566, रकबा 0-2660 है 0, लगान 6-55 पैसे का 1620/2660 भाग अर्थात् 0-1620 है 0 भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक उद्घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी होवे। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, तहसील-सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक 08-9-2011



(कुमार रविकान्त सिंह)

(आई०ए०एस०)

उप जिलाधिकारी-सदर,
मुजफ्फरनगर।

1. न्यायिक अधिकारी.....
2. न्यायिक अधिकारी.....
3. न्यायिक अधिकारी.....
4. न्यायिक अधिकारी.....
5. न्यायिक अधिकारी.....
6. न्यायिक अधिकारी.....
7. न्यायिक अधिकारी.....
8. न्यायिक अधिकारी.....

सत्यप्रतिलिपि

पेशकार

उप जिलाधिकारी सदर
मुजफ्फरनगर।

अध्यक्ष

मौलाना आज़ाद एजुकेशनल सोसायटी
असारी रोड, मुजफ्फरनगर